27/03/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील दस्त तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली वास्ते दिनांक 11/04/2018 को पेश हो।

11/04/18 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय नक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11/05/18 को पेश हों।

11/05/18 ~~प्रार्थी वकील उपस्थित~~। पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु चिमनजी में रखी गई। प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पत्थर के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ~~बायतु~~ गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर निशानबंदी दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर बाद सूचना कमिश्नर शुल्क मौके पर जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, बायतु चिमनजी)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 170 दिनांकः– 11/05/2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री भूराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 9 जातियान् सुथार निवासीयान् उगराणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. श्री हमीराराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 34 निवासीयान् उगराणियों की ढाणी, शहर तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 188/17

आदेश

मौजा उगराणियों की ढाणी पटवार हल्का शहर के खेत खसरा नम्बर 229, 230, 231, 296/231, 299/228, 220, 228, 297/231, 298/231 रकबा कमशः 00.14, 01.12, 80.15, 82.16, 00.05, 61.00, 00.06, 08.07, 13.08 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/171-75 दिनांकः– 11/05/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का शहर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भूराराम पुत्र मूलाराम वगैरा 9।
4. विप्रार्थी श्री हमीराराम पुत्र पुनमाराम वगैरा 34।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

6. धनाराम पुत्र जालाराम
7. शिवजीराम पुत्र बुटाराम
8. घेवरराम पुत्र भलुराम जातियान भील
9. खेताराम पुत्र गेमरराम